

संसद् सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2006

(2006 का अधिनियम संख्यांक 40)

[12 सितम्बर, 2006]

संसद् सदस्य वेतन, भत्ता और
पेंशन अधिनियम, 1954
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संसद् सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) अधिनियम, संक्षिप्त नाम और
2006 है। प्रारंभ।

(2) जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

धारा 3 का संशोधन।

2. संसद् सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम 1954 का 30 कहा गया है) की धारा 3 में,—

(क) “प्रतिमास चार हजार रुपए की दर से” शब्दों के स्थान पर “प्रतिमास सोलह हजार रुपए की दर से” शब्द रखे जाएंगे;

(ख) “प्रतिदिन चार सौ रुपए की दर से” शब्दों के स्थान पर “प्रतिदिन एक हजार रुपए की दर से” शब्द रखे जाएंगे;

(ग) दूसरे और तीसरे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:—

“परंतु यह और कि इस धारा में विनिर्दिष्ट वेतन और भत्ते की दरें, 14 सितम्बर, 2006 से पांच वर्ष की अवधि के लिए या इनके पुनःनियत किए जाने तक, इनमें जो भी पश्चात्पूर्व हो, लागू होंगी।”।

धारा 4 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) में,—

(क) खंड (ग) के उपखंड (ii) में “आठ रुपए प्रति किलोमीटर की दर से” शब्दों के स्थान पर “तेरह रुपए प्रति किलोमीटर की दर से” शब्द रखे जाएंगे;

(ख) दूसरे परंतुक के पश्चात् और स्पष्टीकरण के पूर्व निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“परंतु यह भी कि इस उपधारा के खंड (ग) के उपखंड (ii) में विनिर्दिष्ट दर संसद् सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2006 के प्रारंभ की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए लागू होगी।”;

(ग) उपधारा (2) में दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“परंतु यह भी कि पहला परंतुक ऐसे सदस्य को लागू नहीं होगा जो, यथास्थिति, राज्य सभा के सभापति या लोक सभा के अध्यक्ष की राय में, शारीरिक रूप से इतना असमर्थ है कि वह वायु मार्ग या रेलगाड़ी द्वारा यात्रा नहीं कर सकता है;”।

धारा 5 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 5 में,—

(क) उपधारा (1क) में “सात दिन” शब्दों के स्थान पर “पांच दिन” शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (2) में,—

(i) पहले परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:—

“परंतु इस उपधारा के अधीन ऐसी यात्राओं की कुल संख्या प्रतिवर्ष चौतीस यात्राएं होंगी:”;

(ii) दूसरे परंतुक में “बत्तीस से कम” शब्दों के स्थान पर “चौतीस से कम” शब्द रखे जाएंगे;

(iii) तीसरे परंतुक में “बत्तीस यात्राओं” शब्दों के स्थान पर “चौतीस यात्राओं” शब्द रखे जाएंगे;

(iv) तीसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“परंतु यह और भी कि यदि कोई सदस्य वर्ष में उसे अनुज्ञेय ऐसी चौतीस यात्राओं से अधिक यात्राएं वायुमार्ग द्वारा करता है तो उसे आठ से अधिक ऐसी यात्राओं को उन यात्राओं की संख्या से जिनका वह हकदार होगा जो ठीक बाद के वर्ष में उसके खाते में प्रोद्भूत हों, समायोजित करने के लिए, अनुज्ञात किया जा सकेगा।”;

(ग) उपधारा (2) के पश्चात् और स्पष्टीकरण के पूर्व, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“(3) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे सदस्य को, जो, यथास्थिति, राज्य सभा के सभापति या लोक सभा के अध्यक्ष की राय में, शारीरिक रूप से इतना असमर्थ है कि वह वायुमार्ग या रेल गाड़ी से यात्रा नहीं कर सकता है, पूर्ण सड़क यात्रा के लिए मील भत्ता दिया जाएगा।”;

(घ) स्पष्टीकरण 3 में “बत्तीस यात्राओं” शब्दों के स्थान पर “चौतीस यात्राओं” शब्द रखे जाएंगे।

5. मूल अधिनियम की धारा 6घ में, खंड (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा और धारा 6घ का संशोधन।
17 मई, 2004 से जोड़ा गया समझा जाएगा, अर्थात्:—

“(iii) धारा 4 या धारा 5 में निर्दिष्ट सड़क मार्ग द्वारा ऐसी प्रत्येक यात्रा की बाबत एक मील भत्ते के बराबर रकम का हकदार होगा:”।

6. मूल अधिनियम की धारा 7 में “सात दिन” शब्दों के स्थान पर “पांच दिन” शब्द रखे जाएंगे। धारा 7 का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 8क में,—

धारा 8क का संशोधन।

(क) उपधारा (1) और उसके परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(1) संसद् सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2006 के प्रारंभ से ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को आठ हजार रुपए प्रतिमास पेंशन दी जाएगी जिसने अंतःकालीन संसद् या संसद् के किसी सदन के सदस्य के रूप में किसी भी अवधि तक सेवा की है:

परंतु जहां किसी व्यक्ति ने अंतःकालीन संसद् या संसद् के किसी सदन के सदस्य के रूप में पांच वर्ष से अधिक की अवधि के लिए सेवा की है, वहां उसे पांच वर्ष से अधिक सेवा किए गए प्रत्येक वर्ष के लिए आठ सौ रुपए प्रतिमास अतिरिक्त पेंशन दी जाएगी।”;

(ख) उपधारा (1क) और उसके अधीन स्पष्टीकरण का लोप किया जाएगा।

8. मूल अधिनियम की धारा 8कक को उसकी उपधारा (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और धारा 8कक का संशोधन।
इस प्रकार संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“(2) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो आसीन सदस्य नहीं है किंतु अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप से सदस्य के रूप में किसी अवधि के लिए सेवा कर चुका है, उपधारा (1) के अधीन ऐसे सदस्य को उपलब्ध सुविधाओं के अतिरिक्त संसद् के किसी भी सदन के सचिवालय द्वारा इस प्रयोजन के लिए जारी किए गए प्राधिकार के आधार पर, यथास्थिति, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप और भारत के मुख्य भूमि राज्यक्षेत्र के बीच चलने वाले किसी स्टीमर में उच्चतम दर्जे से किन्हीं प्रभारों का संदाय किए बिना यात्रा करने के लिए हकदार होगा।”।

9. मूल अधिनियम की धारा 8कख के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— धारा 8कग का अंतःस्थापन।

‘8कग. (1) संसद् के किसी सदन के किसी सदस्य की, उसकी पदावधि के दौरान मृत्यु हो जाने पर, उसकी पत्नी या पति, यदि कोई हो, या ऐसे सदस्य के आश्रित को, यथास्थिति, ऐसे पत्नी या पति या ऐसे आश्रित के, जब तक ऐसा “आश्रित” धारा 2 के खंड (कक) के अर्थान्तर्गत आश्रित बना रहता है, शेष जीवन काल के दौरान उस पेंशन के, जो ऐसे संसद् सदस्य को उसके सेवानिवृत्त होने पर प्राप्त होती, आधे के बराबर कुटुंब पेंशन का संदाय किया जाएगा:

परंतु ऐसे किसी आश्रित को, यदि ऐसा आश्रित संसद् का आसीन सदस्य है या धारा 8क के अधीन पेंशन ले रहा है, ऐसी कुटुंब पेंशन संदेय नहीं होगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन संदेय कुटुंब पेंशन ऐसे व्यक्ति की पत्नी या पति अथवा आश्रित को भी संदेय होगी जो संसद् सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2006 के प्रारंभ होने के पूर्व किसी समय संसद् या अंतःकालीन संसद् के किसी भी सदन का सदस्य था और ऐसे सदस्य के रूप में सेवा करने के पश्चात् उसकी मृत्यु हो गयी थी:

परंतु ऐसी पत्नी या पति अथवा आश्रित, इस अधिनियम के अधीन कोई पेंशन नहीं ले रहा हो या वह उपधारा (1) के परंतुक के अधीन कुटुंब पेंशन लेने का हकदार नहीं है:

परंतु यह और कि ऐसा कोई भी व्यक्ति, संसद् सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2006 के प्रारंभ के पूर्व की किसी अवधि की बाबत इस उपधारा के अधीन कुटुंब पेंशन के बकाया का दावा करने का हकदार नहीं होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "अंतःकालीन संसद्" के अंतर्गत वह निकाय भी है जिसने संविधान के प्रारंभ के ठीक पहले भारत डोमिनियन की संविधान सभा के रूप में काम किया था।।

राष्ट्रपति ने दि सेलरी, अलाउंसेज एंड पेंशन ऑफ मॅबर्स आफ पार्लियामेंट (अंमेडमेंट) ऐक्ट, 2006 के उपरोक्त हिन्दी अनुवाद को राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन राजपत्र में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत कर दिया है।

The above translation in Hindi of the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament (Amendment) Act, 2006 has been authorised by the President to be published in the Official Gazette under clause (a) of sub-section (1) of Section 5 of the Official Languages Act, 1963.

सचिव, भारत सरकार।

Secretary to the Government of India.